M.A. No. 86/2016

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONE, BHOPAL

O.A. NO.24/2016 (CZ)

IN THE MATTER OF :-

PETITIONER : Kishore Deepak Kodwani

VS.

RESPONDENTS : State of M.P. & Ors.

And

APPLICANT/ INTERVENER : High Court of Madhya Pradesh Through Registrar General Jabalpur (M.P.)

INDEX

Sr. No.	Particulars of the documents	Annexure	Page No.
1.	Intervention Application on behalf of the High Court of Madhya Pradesh alongwith Affidavit		1-6
2	Copy of the order dated 22.02.2000	Annexure-A	7-8
3	Copy of the notification dated 12.07.2012	Annexure-B	9
4	Copy of the inspection report	Annexure-C	10
5	Copy of the order dated 18.06.2014	Annexure-D	11
6	Copies of the memos dated 21.11.2014 and 13.04.2015	Annexure-E & Annexure-F	12 13
7	Copy of the revenue entries	Annexure-G	14

GREEN TRIBUNAL BHOPAL

NOTARY Michael Pradeep Kapoor Jabalpur District (M.P.) M.P. 19/6/7/05 GOVT. OF M.P. INDIA

6 FEB 2016

For Intervener

6.2.16

(Bhupendra Kumar Nigam)
Registrar (Admn.)
On behalf of
High Court of M.P.

Jabalpur
Date:____/02/2016

FILED ON 8/2/16
by Adv. Shri. Bhupendra K. Nigam.

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONE, BHOPAL

O.A. NO.24/2016 (CZ)

IN THE MATTER OF :-

PETITIONER : Kishore Deepak Kodwani

VS.

RESPONDENTS : State of M.P. & Ors.

And

APPLICANT/ INTERVENER : High Court of Madhya Pradesh
Through Registrar General
Jabalpur (M.P.)

INTERVENTION APPLICATION ON BEHALF OF THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

The intervener most respectfully begs to submit as under:-

1. That, the petitioner has filed the instant petition against the Chief Secretary, Govt. of M.P., Bhopal, Director, Directorate of Town & Country Planning, Vallabh Bhawan, Bhopal, Collector, Indore, Administrative Officer, Indore Development Authority, Indore, Commissioner, Municipal Corporation Indore and Director, Pollution Control Board, Indore, seeking relief to call the record of master plan of 2021 including the Country Planning, Reservoir and Green land with a direction for removal of encroachments standing on "**Pipalayahana Talab**" and its tributary river, **which indisputably is part of Survey No.525.**

2. That, the petitioner has also filed an application for interim injunction against order dated 18.01.2016 pertaining to the proposed construction work of new District Court building, which is going to be commenced by the applicant very shortly on

NOTARY Michael Pradeep Kapoor Jabalpur (M.P.) M.P. 19/6/7/05 GOVT. OF M.P. INDIA
6 FEB 2016

the duly allotted land bearing Survey No.526 of Pipalayahana Indore admeasuring 11.161 hectares.

The aforesaid petition for stay of Indore District Court building construction work is misconceived.

3. The petitioner has mainly objected to the manner in which the Indore Development Authority has developed the Scheme No.140, but due to ulterior motive, as may be inferred from the pleadings in Para No.4 of the petition, has mentioned about the construction of new District Court building – which is to be constructed on duly allotted land bearing Survey No.526 at Pipalayahana, though not concerned with the Scheme No.140 of the Indore Development Authority. Nor is the proposed District Court building planned on the Pipalayahana Talab or any tributary river thereof, in any manner.

4. That, the allottee of the land, namely, High Court of Madhya Pradesh or District Judge, Indore has not been impleaded as a party in the aforesaid petition for the reasons best known to the petitioner, though a proper and necessary party.

5. In view of the above, this intervention application is filed on behalf of the High Court of Madhya Pradesh as under :-

(i) It is humbly submitted that the **Nazul land** bearing Survey No.526 of Gram Pipalayahana Indore admeasuring 11.161 hectares **has been allotted to the applicant for the proposed construction of new District Court building** vide order dated 22.02.2000 of Collector, Indore. A copy of the order dated 22.02.2000 is annexed herewith as **Annexure-A**.

(ii) That, the land use of the aforesaid Survey No.526 Pipalayahana Indore has been duly converted as per the provisions of Section 23-(ka)(2) of the Madhya Pradesh Town and Country Planning Act, 1973, vide order dated 12.07.2012 after due consideration of the objections as stipulated in the aforesaid provisions, which has not been

NOTARY GOVT. OF M.P. INDIA
6 FEB 2016

6-2-16

challenged by the petitioner or any other party thus far. A copy of the notification dated 12.07.2012 is annexed as **Annexure-B**.

(iii) That, the High Level Committee had inspected the site on 14.03.2011 and submitted its report, in which the matter has been clarified that the Pipalayahana Talab is situated on Survey No.525 and the allotted land is situated in Survey No. No.526/1/1 and 526/1/2, which is found fit for the construction of new District Court building and is not on any part of the land of the Pipalayanahana Talab. A copy of the inspection report is annexed as **Annexure-C**.

(iv) That, it is pertinent to mention that vide order dated 18.06.2014 permission for construction of new District Court building on the land of Survey No.526/1/1 and 526/1/2 area 11.161 hectares has been accorded with the condition to commence the construction by keeping distance of 30 meters from the boundary of Pipalayahana Talab, situated in Survey No.525 and the adjacent "Green Land" area. A copy of the order dated 18.06.2014 is annexed as **Annexure-D**. That condition will be fully observed by the applicant. The finalized building plan for new District Court building at Indore also envisages beautification of the area surrounding Pipalayahana Talab for its value addition and also protect from any encroachment or illegal mining activity.

(v) That, the Project Director, Public Works Department, Project Implementation Unit, Bhopal, vide memo dated 13.04.2015 has communicated that the proposed construction work of new District Court building Indore will be commenced only after clearances obtained from Town & Country Planning, Municipal Corporation, Highrise, Committee, Indore, Fire Clearance, Bhopal, Environmental Clearance, Bhopal and Aviation Clearance from Mumbai, for which necessary communications have been sent vide memo dated 21.11.2014. The copies of the

NOTARY GOVT. OF M.P. INDIA Michael Pradeep Kapoor
6 FEB 2016

memos dated 21.11.2014 and 13.04.2015 are annexed as **Annexure-E & Annexure-F**.

(vi) That, the land of "Pipalayahana Talab" Indore falls under Survey No.525, which is in the name of Executive Engineer, Irrigation Department, Indore. Whereas, Nazul land has been allotted to the applicant bearing Survey No.526/1/1 and 526/1/2. The copy of the revenue entries is annexed as **Annexure-G**.

(vii) **That, it is humbly submitted that the allotted land for the construction of new District Court building at Indore does not fall within the area of Pipalayahana Talab or "Green Land area"**. The date of initial allotment of the aforesaid land to the applicant is 22.02.2000. Therefore, the instant petition is hopelessly barred by time. In any case, no relief much less, any interim relief, can be granted in respect of land bearing Survey No.526 of Pipalayahana, Indore admeasuring 11.16 hectare which has been duly allotted to the applicant. It is well settled position in law that interim relief can be granted only in the aid of substantive relief. The substantive relief claimed by the applicant in this case, at best, is in respect of Scheme No.140 of Indore Development Authority and encroachments on Pipalayahana Talab situated on Survey No.525 of Pipalayahana, with which, the applicant has no concern whatsoever.

PRAYER

(i) Permit the applicant to intervene in this proceeding and more particularly, to oppose the prayer for interim stay as prayed in respect of the proposed new District Court project of the applicant. Further, no interim relief be granted with regard to the proposed construction work of District Court building at Indore.

(ii) In the event any other interim relief is granted, it must be made amply clear that it is only in respect of Scheme No.140 of Indore Development Authority

NOTARY GOVT. OF M.P. INDIA Michael Pradeep Kapoor

6 FEB 2016

and, in particular, Pipalayahana Talab area situated on Survey No.525 of Pipalayahana; and not in respect of Survey No.526 of Pipalayahana, which has been duly allotted to the applicant.

(iii) Issue appropriate direction to all concerned including media to refrain from publishing any misconceived, unverified and misinformed news item in respect of proposed project of District Court building at Indore on Survey No.526 of Pipalayahana.

(iv) Any other relief as may be necessary, in the interest of justice, and larger public interest.

For Intervener

(Bhupendra Kumar Nigam)
Registrar (Admn.)
On behalf of
High Court of M.P.

Jabalpur
Date: 6/02/2016

6 FEB 2016

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

CENTRAL ZONE, BHOPAL

O.A. NO.24/2016 (CZ)

IN THE MATTER OF :-

PETITIONER : Kishore Deepak Kodwani

VS.

RESPONDENTS : State of M.P. & Ors.

6 FEB 2016

And

APPLICANT/ INTERVENER : High Court of Madhya Pradesh Through Registrar General, Jabalpur (M.P.)

AFFIDAVIT

I, Bhupendra Kumar Nigam, son of Shri Raghubir Prasad Nigam, aged about 54 years, Registrar (Admn.), High Court of M.P., Jabalpur, do hereby take oath and state as under:-

1. That I am Registrar (Admn.) in the High Court of M.P., posted at Jabalpur. I have been authorized to act and appear in the aforesaid matter on behalf of the High Court of M.P. I am well conversant with the facts of the case.

2. That the instant intervention application has been drafted and filed in accordance with my instructions. I have read and understood the contents thereof. I state that the contents of the intervention application are true to the information as gathered from the office records and believed to be true.

Solemnly affirmed before me by declared before me by Shri Bhupendra Kumar Nigam S/o W/o D/o. Shri Raghubir Prasad Nigam Aged about 54 Years/occupation Registrar (Admn) [illegible] High Court of M.P. Jabalpur Who is Personally known to me/her been duly identified by Pradeep Ganguly s/o Late Shri A.K. Ganguly [illegible] M.P. High Court Jabalpur M.P.

Signature of Identified NOTARY

6.2.16

DEPONENT

VERIFICATION

I, Bhupendra Kumar Nigam, abovenamed deponent, do hereby verify that the contents of paras 1 and 2 above stated are true to my personal knowledge.

Verified and signed on this 6th day of February, 2016, at Jabalpur.

MICHAEL PRADEEP KAPOOR
NOTARY
Jabalpur District (M.P.) INDIA

6 FEB 2016

6.2.16

DEPONENT

7 Annexure-A

प्रकरण क्र. 8/अ-20(1)/98-99

// कार्यालय कलेक्टर (नजूल) जिला-इन्दौर //

क्रमांक/ /नजूल/2000 इन्दौर, दिनांक

:: आदेश ::

माननीय रजिस्ट्रार, म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर के पत्र क्रमांक-3103 दिनांक 17.2.99 के द्वारा न्यायालयीन अधिकारियों के आवास गृह एवं न्यायालय भवन के लिये ग्राम पिपल्याहाना के सर्वे नंबर 525 एवं 526 पैकी 11.161 हेक्टर भूमि सुरक्षित करने के लिये पत्र प्राप्त हुआ है।

2. माननीय मुख्य न्यायाधीश म.प्र. जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय न्यायाधीश श्री डी.के. जैन एवं माननीय न्यायाधीश श्री दीपक वर्मा के द्वारा स्थल निरीक्षण भी दिनांक 6.11.98 को किया गया है।

3. विभागीय समिति की बैठक दिनांक 20.02.99 में सर्व सम्मति से ग्राम पिपल्याहाना की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 526 पैकी रकबा 11.161 हेक्टर न्यायिक भवन एवं न्यायिक अधिकारियों के आवास के लिये दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. प्रश्नाधीन भूमि न्यायिक भवन एवं न्यायिक अधिकारियों के आवास हेतु कार्यालयीन आदेश क्र. 367/न.अ./दिनांक 6.5.99 से सुरक्षित कर दी गई थी।

5. प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया जिसमें कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

6. प्रकरण में विभागीय अभिमत हेतु इन्दौर विकास प्राधिकरण, नगरपालिक निगम एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग को यह आदेश किया गया कि आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर की अध्यक्षता में गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 20.02.99 जिसमें विभाग प्रमुखों की उपस्थिति में भूमि हस्तांतरण का अनुमोदन हो चुका है, अतः पुष्टि हेतु अभिमत भिजवाये लेकिन 7 माह की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी उक्त विभाग से पुष्टि अभिमत प्राप्त नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में जब कि विभागीय समिति की बैठक में विभाग प्रमुखों की उपस्थिति में भूमि हस्तांतरण का अनुमोदन हुआ सहमति मानते हुए ग्राम पिपल्याहाना के सर्वे नंबर 526 रकबा 11.161 हेक्टर भूमि म.प्र. उच्च न्यायालय इन्दौर को न्यायिक भवन एवं अधिकारियों के शासकीय आवास निर्माण हेतु हस्तांतरित की जाती है।

कलेक्टर
जिला इन्दौर
20.6.2000

(9)

Annexure-B

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

//अधिसूचना//

भोपाल, दिनांक 12-7-2012

कमांक एफ–3/134/2010/बत्तीसः– मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (कमांक–23 सन् 1973) की धारा 23–"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की सूचना कमांक एफ–3–134/2010/32, दिनांक 01.02.2012 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित इंदौर विकास योजना 2021 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

उपांतरण विवरण

कमांक	ग्राम	सर्वे कमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग	उपांतरण पश्चात उपांतरित भूमि उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ग्राम पिपल्याहाना	526	11.161 हेक्टेयर	आमोद–प्रमोद जलाशय	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक(प्रशासकीय) शर्त–सिंचाई विभाग के तालाब से 30 मीटर हरित क्षेत्र छोडने के बाद ही नियमानुसार निर्माण कार्य किया जावे
		कुल योग	11.161 हेक्टेयर		

2/– उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना–2021 का एकीकृत भाग होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हस्ताक्षर)
(वर्षा नावलेकर)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

17/7/2012

TRUE COPY

Registrar (Administration)
High Court of Madhya Pradesh
Jabalpur

ZIA notice.doc/1

Annexure-C

(10)

विषय : इन्दौर में जिलान्यायालय की स्थापना हेतु दिनांक 14/03/2011 को किये गये स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन।

दिनांक 12/03/2011 को ग्राम पिपल्याहाना, के खसरा क्र. 526/1/1 एवं 526/1/2 रकबा 11.161 हेक्टेयर भूमि जो कि, माननीय रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश उच्चन्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर के नाम से आवंटित है, का सीमांकन राजस्व विभाग द्वारा कराया गया। सीमांकन पश्चात् भूमि का स्थल निरीक्षण दिनांक 14/03/2011 को माननीय उच्चन्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के रजिस्ट्रार एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर के साथ जिला प्रशासन एवं तकनीकी अधिकारीयों के द्वारा किया गया।

सीमांकित भूमि के स्थल निरीक्षण में पाया गया कि, न्यायालय हेतु आरक्षित भूमि के पूर्व में इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्र. 140, पश्चिम में सिंचाई विभाग का तालाब खसरा क्र. 525 रकबा 3.674 हेक्टेयर भूमि, उत्तर में योजना क्र. 140 का भाग, दक्षिण में 30.0 मीटर चौडा लिंक रोड़ स्थित हैं। भूमि के पश्चिम दिशा में तालाब के पश्चात् योजनां क्र. 94 के भूखण्ड व उसके पश्चात् रिंगरोड स्थित है। न्यायालय हेतु खसरा क्र. 526/1/1 एवं 526/1/2 आवंटित है जो तालाब से संलग्न है। तालाब से संलग्न न्यायालय हेतु आवंटित भूमि के एक हिस्से पर तालाब की गहराई के बराबर खुदाई कर तालाब का क्षेत्र बढाया गया है। स्थल निरीक्षण में यह पाया गया कि, कार्यपालन यंत्री सिंचाई विभाग के नाम से दर्ज खसरा क्र. 525 पर तालाब निर्मित होकर वर्तमान में सुखा है तथा इसी भूमि से खसरा क्र. 526/1/1 एवं 526/1/2 कुल रकबा 11.161 हेक्टेयर भूमि के तालाब से संलग्न हिस्से पर लगभग पूर्ण लंबाई में खुदाई की गई है। अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग तथा अधीक्षण यंत्री इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा मत व्यक्त किया गया कि खसरा क्र. 525 जो कि कार्यपालन यंत्री, सिंचाई विभाग के नाम से आरक्षित है। सीमांकन अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 600 मीटर लंबाई की एक रिटेनिंग वाल तालाब के एफ.टी.एल से 1 मीटर उची बनाकर खोदे गये भाग की भराई कर दी जाती है तो भूमि मूल स्वरूप में आ जावेगी व इसको भवन निर्माण के योग्य बनाया जा सकता है।

यहाँ यह भी उल्लेखनिय है कि, खसरा क्र. 526/1/1 एवं 526/1/2 की पूर्वी सीमा पर इन्दौर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना विकसित हो चुकी है व इससे संलग्न भाग जो कि, मूल स्वरूप में उपलब्ध हैं, की ओर से न्यायालय हेतु आरक्षित भूमि वर्तमान स्थिति में भी भवन निर्माण के योग्य है।

प्रश्नाधीन भूमि की भौगोलिक स्थिति व स्थल पर पहुंच के अनुसार उपयुक्त है। प्रश्नाधीन भूमि की पहुंच ए.बी. रोड़, रिंगरोड़, बायपास व लिंकरोड़ के मध्य स्थित है साथ हीं प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही योजना क्र. 140 की भूमि से संलग्न है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अधोसंरचना यथा जलप्रदाय नेटवर्क, सिविज डिस्पोजल, बाह्य विद्युतीकरण एवं पब्लिक ट्रान्सपोर्ट की उपलब्धता के आधार पर जिला न्यायालय परिसर (न्यायालय भवन एवं आवास) हेतु उपयोगी होगी। यह भी उल्लेखनीय है कि स्थल की स्थिति अनुसार भूमि ऊँचे भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है। अतः इस भूमि पर यदि ऊँचे भवन का निर्माण होने की स्थिति में 2.5 एफ.ए.आर. के साथ भवन बनाया जा सकता है, जिससे न्यायालय परिसर (न्यायालय भवन एवं आवासीय) आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी।

अतः विकास योजना में खसरा क्र. 525 जिस पर तालाब सिंचाई विभाग द्वारा बनाया गया है, को सीमांकन अनुसार रिटेनिंग वाल बनाकर खसरा क्र. 526/1/1 एवं 526/1/2 कुल रकबा 11.161 हेक्टेयर जो कि शासन द्वारा न्यायालय परिसर हेतु आवंटित है– का इन्दौर विकास योजना 2021 में विनिर्दिष्ट भू–उपयोग हरित (आमोद–प्रमोद) को परिवर्तन किया जाना उपयुक्त होगा।

भरत माहेश्वरी
रजिस्ट्रार
माननीय उच्चन्यायालय,
खण्डपीठ, इन्दौर

एम. के. मुदगल
जिला एवं सत्रन्यायधीश,
जिला, इन्दौर

राघवेन्द्र सिंह
कलेक्टर,
जिला इन्दौर

आनन्द शर्मा
अतिरिक्त कलेक्टर
जिला इन्दौर

शैलेन्द्र सिंह
संयुक्त कलेक्टर
जिला इन्दौर

आर. के. सांवला
अधीक्षण यंत्री
लोकनिर्माण विभाग,
इन्दौर

आशुतोष मुदगल
अधीक्षण यंत्री
इन्दौर विकास प्राधिकरण,
इन्दौर

संजय मिश्रा
संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला इन्दौर

TRUE COPY

Registrar (Administration)
High Court of Madhya Pradesh
Jabalpur

Annexure - D

(11)

District & Session Judge
2098
18-6-14

कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री
परियोजना कियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग इन्दौर

कमांक 857/तक./पी.आई.यू./2014 इन्दौर दिनांक 18-06-2014

प्रति,

जिला सत्र एवं न्यायाधीश,
जिला इन्दौर (म.प्र.)

विषयः— नवीन जिला न्यायालय भवन एवं आवासीय भवन के निर्माण के संबंध में।

संदर्भः—निर्देश दिनांक 18.06.2014।

—◆◆◆—

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में निवेदन है कि ग्राम पिपल्याहाना के खसरा क्रं.526/1/1 एवं 526/1/2 रकबा 11.161 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित नवीन जिला न्यायालय भवन एवं आवासीय भवनों के निर्माण को तालाब की खसरा क्रं. 525 के सीमा से 30.00 मीटर की हरित क्षैत्र भूमि को छोडकर निर्माण कार्य भविष्य में करवाया जायेगा। तद्नुसार उपरोक्त कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर विस्तृत मानचित्र मुख्य वास्तुविद लोक निर्माण विभाग भोपाल से अनुमोदित करवाया जावेगा।

सहपत्रः—संयुक्त कमेटी का स्थान का
निरीक्षण प्रतिवदेन दिनांक 14.03.2011।

संभागीय परियोजना यंत्री
परियोजना कियान्वयन इकाई,
लो.नि.वि. इन्दौर

TRUE COPY

Registrar (Administration)
High Court of Madhya Pradesh
Jabalpur

Annexure-E

FROM :D J COURT INDORE FAX NO. :0731 2537605 5 Feb. 2016 6:41PM P1

(12)

कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री
परियोजना कियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग इन्दौर–1

कमांक 1438 /तक./पी.आय.यू./2014 इन्दौर दिनांक 21-11-2014

प्रति,

MOST URGENT

1. पुलिस महानिरीक्षक फायर जिला इन्दौर
2. आयुक्त नगर निगम इन्दौर
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी आई.डी.ए. इन्दौर
4. एअरपोर्ट डायरेक्टर/एअर ट्राफिक कंट्रोल अथारिटी एअरपोर्ट, इन्दौर।
5. संयुक्त संचालक टी.एण्ड.सी.पी. एम. आई.जी. शापिंग काम्पलेक्स इन्दौर।
6. रीजनल आफिसर प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड स्कीम 78 सी प्लाट न.1 लाइफ केयर हास्पिटल के पास इन्दौर।
7. अध्यक्ष सचिव, म.प्र. राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण पर्या. भ.

विषय:—पिपल्याहाना परिसर इन्दौर में नवीन जिला न्यायालय भवन इन्दौर की प्रस्तावित ले–आऊट प्लान एवं वर्किंग प्लान में विभाग का अभिमत एवं एन.ओ.सी. प्रदान करने बाबद्।

संदर्भः—माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार।

उपरोक्त संदर्भित निर्देश के परिपालन में पिपल्याहाना तालाब के पास जिला एवं सत्र न्यायालय भवन इन्दौर के निर्माण कार्य हेतु कलेक्टर, इन्दौर द्वारा आवंटित भूमि पर मुख्य वास्तुविद लोक निर्माण विभाग म.प्र. भोपाल द्वारा लोअर बेसमेन्ट, ग्राऊण्ड फ्लोर + 5 फ्लोर निर्माण कार्य का प्रस्तावित ले–आऊट प्लान एवं वर्किंग प्लान तैयार किया जाकर माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार इस कार्यालय को निर्देशित किया है कि, उपरोक्तानुसार संबंधित विभागों से उक्त प्लान पर उनके अभिमत एवं एन.ओ.सी. प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देश के परिपालन में संलग्न ले–आऊट प्लान एवं वर्किंग प्लान पर अपना अभिमत एवं एन.ओ.सी. प्रदान करने का कष्ट करें ताकि आपके सुझावों को उपरोक्त प्लान में सम्मिलित किया जाकर माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर से उनके द्वारा निर्धारित दिनांक 26.11.2014 तक अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

कृपया विशेष पत्र वाहक के माध्यम से अपना अभिमत एवं एन.ओ.सी. इस कार्यालय को प्रदान करने का कष्ट करें।

(signature) 21.11.2014

संभागीय परियोजना यंत्री
परियोजना कियान्वयन इकाई,लो.नि.वि.
इन्दौर–1

पृ.क्र....................../तक./पी.आय.यू./2013 इन्दौर दिनांक ....

प्रतिलिपि:—1. मुख्य वास्तुविद लोक निर्माण विभाग म.प्र.,निर्माण भवन, भोपाल।

2. अतिरिक्त परियोजना संचालक, पी.आई.यू.,लो.नि.वि., इन्दौर।

3. परियोजना यंत्री पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(signature)

संभागीय परियोजना यंत्री
परियोजना कियान्वयन इकाई,लो.नि.वि.
इन्दौर–1

TRUE COPY

(signature) 6.2.16

Registrar (Administration)
High Court of Madhya Pradesh
Jabalpur

(stamp) दिनांक 21/11/14 इन्दौर

E/PIU/PIU & NH Letter/cor.III-Pradnya

Annexure-F

6.5 — (13) (18)

उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश
08 MAY 2015
जबलपुर

कार्यालय परियोजना संचालक

लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई
प्लाट नं. 27–28, निर्माण भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल
website:www.mp.gov.in/pwdmp email:-pdpiubho@mp.gov.in
Phone- 0755-2551341

क्र. एफ 21–7/2015/जि.न्या.इंदौर/तक./पीडी/ भोपाल, दिनांक 13/04/2015

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
माननीय उच्च न्यायालय,
जबलपुर, मध्यप्रदेश।

Sub. :- Construction of new District Court building at Pipliyahana, District Indore.

संदर्भ :–ओ.एस.डी. माननीय उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर का मुख्य वास्तुविद, लोनिवि को संबोधित पत्र क्रमांक ओ./ओ.एस.डी./ए/3721, जबलपुर, दिनांक 02 अक्टूबर 2014

विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र से जारी निर्देश के पालन में जिला न्यायालय भवन, इंदौर की डीपीआर लागत रूपए 525.98 करोड़ (फेस 1– 327.93 करोड़ + साइड डेव्हलपमेंट 45.68 करोड़ + सुपरविजन एवं कंसल्टेंसी चार्जेज 33.62 करोड़ कुल 407.23 करोड़ एवं फेस 2 – 108.93 करोड़ + सुपरविजन एवं कंसल्टेंसी चार्जेज 9.81 करोड़ कुल 118.74) आपकी ओर उचित कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

डीपीआर में आपके निर्देशानुसार फेस–1 में 125 कोर्ट रूम एवं फेस–2 में 100 कोर्ट रूम बनाये जाने का निर्देश पूर्व में दिये गये थे, लेकिन भवन की वास्तुकला की आवश्यकताओं के कारण फेस–1 में 141 कोर्ट रूम एवं फेस–2 में 84 कोर्ट रूम का प्रावधान किया गया है। फेस–1 में अन्य कार्य जैसे सर्विस ब्लाक, आडिटोरियम एवं मल्टी लेवल कार पार्किंग एवं हेलीपैड का भी प्रावधान किया गया है। यह भवन 11.15 हेक्टेयर भूमि में बनाया जाना प्रस्तावित है। अतः ऑडिटोरियम, पार्किंग एवं सम्पूर्ण कैम्पस का विकास मय बाउंड्री वॉल, बाह्य विद्युतीकरण एवं निकट स्थित तालाब के किनारे रिटेनिंग वॉल भी फेस–1 में ही शामिल कर लिया गया है। भवन में ग्रीन बिल्डिंग कान्सेप्ट के अधिकतर प्रावधान किये गये हैं।

उपरोक्त प्रस्तावित भवन के निर्माण कार्य के पूर्व टीएनसीपी, नगर निगम, हाईराइज कमेटी, इंदौर, फायर क्लियरेंस भोपाल, इनवायरमेंटल क्लियरेंस भोपाल एवं एविएशन क्लियरेंस मुम्बई आदि से एनओसी प्राप्त किया जावेगा।

08 MAY 2015
REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT OF M.P.
JABALPUR
Reg.(CA)

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार
तकनीकी स्वीकृति सहित
विस्तृत प्राक्कलन की प्रति।

(विजय सिंह वर्मा)
परियोजना संचालक
लोनिवि, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, भोपाल

15.4.2015
Dy. Reg.(B)/ P.O.

TRUE COPY
Registrar (Administration)
High Court of Madhya Pradesh
Jabalpur

Annexure-G

१९९९-२००० [illegible] ५२

P-II खसरा पांच साला का नया फार्म

नाम........ ग्राम पिपल्याहाना .... प. हल्का नम्बर ९५/२ .... तहसील इन्दौर .... जिला इन्दौर .... (मप्र.) सन्........ ई.

नम्बर	रकबा यदि भूमि और गैर खाते की है तो विवरण	कब्जेदार का नाम, पिता अथवा पति का नाम सकूनत हक जमा या लगान (देखो कण्डिका 5 लेण्ड रिकार्ड न्युअल जिल्द 1)	भूमि स्वामी के पट्टाधिकारी या मौरूमी कृषक के उपपट्टाधिकारी का नाम लगान या पट्टा आदि पट्टे पर दी भूमि का रकबा	रकबा जो खाते में शामिल है — जिस पर साल के अन्दर हुई फसल — नाम जीन्स	रकबा	रकबा दुफसली	पड़ता रकबा — चालू वर्ष की पड़ती	2 साल से 5 साल की पड़ती	अन्य पड़ती	नाम जिन्स और रकबे गैर खाते रकबे में हुई	कैफियत	तफसील तब्दीलियों के — वर्ष — खसरे के खाते का नं. जिसमें तब्दीली होगी	तरमीम किया हुआ दाखिला	वर्ष — खसरे के खाते का नं. जिसमें तब्दीली होगी	तरमीम किया हुआ दाखिला	वर्ष — खसरे के खाते का नं. जिसमें तब्दीली होगी	तरमीम किया हुआ दाखिला	वर्ष — खसरे के खाते का नं. जिसमें तब्दीली होगी	तरमीम किया हुआ दाखिला
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
५२५	०-९८	मालिक कार्यपालन यंत्री सिंचाई विभाग इन्दौर वि. मु.																	
५२६/१/१	२६-९० [illegible]											(१)(२) ५२६/१/१, ५२६/१/२ २६-९० [illegible]							
[illegible]	०-९८											(३) माननीय रजिस्ट्रार म.प्र. उच्च न्यायालय बेंच इन्दौर							
२०												१२ आदेश कलेक्टर [illegible] क्र. ३५८/३५७ दिनांक २२/२/२००० अनुसार नाम दर्ज किया गया							
५२६	[illegible]																		

TRUE COPY

Registrar (Administration)
High Court of Madhya Pradesh
Jabalpur